राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: नि र्ण य ::

उधवदास व अन्य बनाम् राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर वगैरा।

खण्डपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या- 524/1999 अन्तर्गत धारा-18, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश,1949 विरूद्धविद्वान एकलपीठ द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-1770/1999 में पारित आदेश दिनांक-09.4.1999.

निर्णय दिनांक- **दिसम्बर 12,2006**

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम जाट

श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री एम.एल. गोयल, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

न्यायालय द्वारा-

(1) इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यह अपील वर्ष 1999 से विचाराधीन है, प्रत्यर्थी संख्या-2 की तामील नजर अन्दाज(Dispense with) की जाती है।

(2) अपीलार्थीगण ने इस अपील में विद्वान एकलपीठ के आदेश दिनांक-9.4.1999 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका को निरस्त किया गया है तथा राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय को बहाल रखा गया है।

(3) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

(4) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम,1956 की धारा-82 के अन्तर्गत एक रेफरेंस जिलाधीश, भरतपुर द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रेषित किया गया था जिसे राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक- 7.8.1997 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश को अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी जिसे विद्वान एकलपीठ ने आक्षेपित आदेश दिनांक- 9.4.1999 द्वारा निरस्त कर दिया।

(5) राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक- 7.8.1997 में यह अवधारित किया था कि तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में दी गई खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-15(2) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार से परे है। ऐसी स्थिति में जबकि विद्वान एकलपीठ ने आक्षेपित आदेश में अपीलार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मत अभिव्यक्त किया है, हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते। एतद्द्वारा अपील निरस्त की जाती है।

(न्या. चतरा राम जाट) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**